–:: मैनुअल–4 ::–

(कर्तव्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित माप मान)

नीति निर्धारण निदेशालय स्तर पर होता है। तद्सम्बन्धी निर्देशो का पालन किया जाता है वर्ष 2015–16 के कृषि गणना के अनुसार कुल 1.44 लाख हैक्टेयर जातों में से 0.04 लाख हैक्टेयर अनुसूचित जाति तथा 0.27 लाख हैक्टैयर अनुसूचित जन जाति के कृषकों की जोत है तथा इसमें से 0.53 लाख हैक्टैयर जोत लघु सीमान्त कृषकों के पास उपलब्ध है।

अधिकांश जोतों का आकार लद्यु सीमान्त श्रेणी में आने के कारण एक ही विकल्प रह जाता है कि प्रति इकाई उत्पादन को जहॉ तक संभव हो सके अधिकतर किया जाय। इस संदर्भ में निम्नांकित नीति अपनाई गई है।

- अनुसूचित जाति बहुल महत्वपूर्ण ग्रामों का चयन।
- चयनित ग्राम का सूक्ष्म नियोजन।
- विभिन्न कार्यक्रमों को अलग–अलग प्रस्तावित न करते हुये चयनित क्षेत्र का सर्वागीण विकास।
- कार्ययोजना को लाभार्थी उन्मुख बनाते हुये प्रत्येक योजना के अंतर्गत लाभान्वित होने वाले कृषक परिवारों की संख्या सुनिश्चित करना।
- अधिक मूल्य वाली फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन तथा कृषि विविधीकरण।
- कृषकों के फार्मिंग सिस्टम की सभी समस्याओं का निदान कराते हुए समग्र उत्पादन एवं आय में वृद्धि तथा जीवन स्तर ऊॅचा उठाना।
- विभिनन योजना का क्रियान्वयन संबंधित विभागों, स्वयं सेवी संस्थाओं, प्रशिक्षण संस्थानों एवं कृषक समूहों आदि के द्वारा कराना।
- कृषकों के मध्य कृषि यंत्रीकरण की पहूंच बढाना।
- प्रमाणित जैविक खेती के माध्यम से वाणिज्यिक जैविक उत्पादन को बढ़ावा देना।